रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 493] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1982/कार्तिक 8, 1904
No. 493] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1982/KARTIKA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1982

का० आ० 768 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/82 —भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 618 (अ)/18कक/उ० वि० वि० अ०/79 तारीख 31 अक्तूबर, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सचिव, बन्द और बीमार उद्योग विभाग जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता कहा जाता है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत, व्यक्ति कहा गया है) को मैसर्स श्री सरस्वती प्रैस लिमिटेड, 11 बैरकपुर ट्रंक रोड, बेलघरिया, कलकत्ता

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध 31, अक्तूबर 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने लिए प्राधिकृत किया था .

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का उक्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रबंध छह मास की और अवधि के लिए बना रहना चाहिए .

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि उक्त आदेश, 30 अप्रैल, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 2 (15)/79 सी यू एस]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th October, 1982

S.O. 768(E)/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 618(E)/18AA/IDRA/79, dated the 31st October, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, Calcutta (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of Messrs *Sree Saraswati Press Limited*, 11, Barrackpore *Trunk* Road, Belgharia, Calcutta, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) for a period of three years from the 31st October 1979 ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said authorised person should continue for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 30th April, 1983

[F. No. 2(15)/79-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982